भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 257

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा

257. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कराई गई सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें मुंबई, पुणे, परभणी, सतारा और शिरूर जैसे शहरों में पहचान की गई विशिष्ट खामियां शामिल हैं;

(ग) क्या उक्त खामियां हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के उपबंधों का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है; और

(ङ) देश में सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल, सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रावधान करने, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों और अनिवार्य प्रशिक्षण का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सितंबर, 2023 में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु के संबंध में सामाजिक लेखापरीक्षा करवाई थी। अध्ययन में वर्ष 2022 और 2023 में 8 राज्यों के 17 जिलों में हुई 54 मृत्यु के मामलों को शामिल किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के 4 जिले अर्थात् मुंबई, पुणे, परभणी और सतारा भी शामिल थे।

सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष **संलग्नक** में दिए गए हैं।

(ग): मौतें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई और ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और एमएस नियम, 2013" के साथ-साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन न करने के कारण हुई हैं।

(घ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे सीवर और सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों के मामलों की जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 (एमएस नियम, 2013) के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और एमएस अधिनियम, 2013 की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।

(ङ): सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट, एबी-पीएमजेएवाई कार्ड और व्यवसाय सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) को सुरक्षा उपकरण प्रदान करना।
- सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता संबंधी मशीनरी के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना।
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन करना।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के लिए निम्नलिखित सलाह जारी की है:-

i. सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालना करना।

ii. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय हस्तक्षेप के लिए सलाह।

iii. सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए रेडी रेकनर।

iv. स्वास्थ्य जांच और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए यूएलबी के माध्यम से देश भर में सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन करना।

संलग्नक

सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित संलग्नक

सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष

- **नियुक्ति तंत्र:-** 8 मामलों में मृतक श्रमिकों को निजी एजेंसी द्वारा नियोजित किया गया था, 5 मामलों में मृतक श्रमिकों को सरकारी विभाग की एजेंसी द्वारा नियोजित किया गया था, 38 मामलों में मृतक श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया था और 3 मामलों में मृतक श्रमिक जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु होने पर एक कार्य विशेष के लिए एक निजी नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया गया था।

- **सुरक्षा उपकरणों का उपयोग:-** मृत्यु के 47 मामलों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए कोई मशीनीकृत उपकरण और सुरक्षा गियर श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तथापि, परभणी और सतारा जिले में केवल 2 मामलों में ये सुरक्षा गियर और उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। यह भी पाया गया कि सतारा जिले में संबंधित एजेंसी द्वारा सुरक्षा गियर और उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया गया था।

- **जागरूकता संबंधी मुद्दे:-** मृत्यु के 42 मामलों में यह पाया गया कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के अनुसार खतरनाक सफाई के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कुल 54 मामलों में से केवल 7 मामलों में ही हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के बारे में जागरूकता आंशिक रूप से मृत्यु के बाद फैलाई गई थी और तमिलनाडु के अंतर्गत चेन्नई और कांचीपुरम तथा महाराष्ट्र के अंतर्गत सतारा जिले में जागरूकता का स्तर काफी अच्छा पाया गया।

- **संस्थागत व्यवस्था का अभाव:-** मृत्यु के मामलों से संबंधित 41 स्थलों पर यह पाया गया कि कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई नहीं थी और मृत्यु के 5 मामलों (1 पश्चिमी दिल्ली जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 3 कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु और 1 सतारा जिला, महाराष्ट्र) में यह इकाई उपलब्ध थी। हालाँकि, मृत्यु के 4 मामलों (2 गुरुग्राम में और 2 सोनीपत, हरियाणा में) में आपातकालीन प्रतिक्रिया चालू नहीं थी।

- **अपेक्षित उपकरणों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया तत्परता का अभाव:-** कवर किए गए कुल 54 मामलों में से, मृत्यु के 45 मामलों में, यह पाया गया कि ऐसे कार्य करने वाली संबंधित एजेंसी की ओर से अभी भी कोई उपकरण तत्परता नहीं है। 4 मामलों में (आंध्र (आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में 2 और हरियाणा के हिसार जिले में 2) उपकरण की

तैयारी औसत पाई गई और 1 मामले (महाराष्ट्र के सतारा जिले) में उपकरण की तैयारी अच्छी और संतोषजनक थी।

- **खतरनाक सफाई में लगे श्रमिकों में सुरक्षा, एहतियात और अधिनियम/नियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता का अभाव:-** कुल 54 मामलों में से 18 मामलों में (तमिलनाडु में 8 मामले, महाराष्ट्र में 5, हरियाणा में 2 मामले, उत्तर प्रदेश में 2 मामले और गुजरात में 1 मामला) श्रमिकों की लिखित सहमति ली गई थी, लेकिन उन्हें काम में शामिल जोखिमों के बारे में परामर्श नहीं दिया गया था। मृत्यु के 27 मामलों में श्रमिकों की सहमति नहीं ली गई थी।

- **पीपीई किट और सुरक्षा उपकरणों की कमी:-** शामिल किए गए मृत्यु के 54 मामलों में से 49 मामलों में मृत्यु के समय सफाई कर्मचारियों द्वारा कोई सुरक्षा किट नहीं पहनी गई थी। केवल मृत्यु के 1 मामले (सतारा जिला, महाराष्ट्र) में यह पाया गया कि मृतक पीड़ित ने मृत्यु के समय केवल गम बूट और दस्ताने पहने हुए थे और अन्य 5 मौतों (तिरुपति जिले, आंध्र प्रदेश में 2 और कच्छ जिले, गुजरात में 2) के मामलों में यह पाया गया कि मृतक श्रमिकों ने मृत्यु के समय केवल दस्ताने पहने हुए थे। इसके अलावा, कार्यस्थल पर सफाई कर्मचारियों के लिए कोई सुरक्षा तैयारी नहीं थी। सामाजिक लेखापरीक्षा दल के निष्कर्षों के अनुसार, महाराष्ट्र के सतारा जिले में सुरक्षा तैयारी औसत पाई गई।

*****